उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांक: 1739/एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉक: 14–03–2024

दिनांक	:	14 मार्च, 2024
समय	:	12:00 बजे
स्थान	:	उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति	:	संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की बाईसवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की 22वीं बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 14 मार्च, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक ; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक व धान प्रजनक; चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, कानुपर के पादप रोग वैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक; कृषि विभाग; उद्यान विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग; रेशम विभाग; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा परिषद के अधिकारियों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तिलहन व दलहन वैज्ञानिकों द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया।

आगामी सप्ताह (14 मार्च से 21 मार्च, 2024) का मौसम पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी सप्ताह (14 मार्च से 21 मार्च, 2024) के दौरान प्रदेश के ज्यादातर कृषि जलवायु अंचलों में मौसम सामान्यतया शुष्क बना रहने परंतु दिनांक 19 एवं 20 मार्च, 2024 को विन्ध्य क्षेत्र में कहीं–कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है।

प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग एवं दक्षिणी–पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र के उत्तरी भाग तथा उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भांवर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 26–28 डिग्री सेल्सियस भांवर तराई क्षेत्र के मध्य भाग, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 28–30 डिग्री सेल्सियस, भांवर तराई क्षेत्र के पूर्वी भाग, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग, दक्षिणी–पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी एवं मध्य मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 30–32 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 32–34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उक्त तापमान श्रेणियां औसत साप्ताहिक तापमान को प्रदर्शित करती है।

प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आस पास रहने की संभावना है। प्रदेश के भांवर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 10–12 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी मैदानी क्षेत्र एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 12–14 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में 14–16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

सप्ताह के दौरान दैनिक तापमान में क्रमिक परिवर्तन के कारण किसी विशिष्ट दिन उक्त तापमान प्रदर्शित श्रेणी से अधिक या कम हो सकता है।

द्वितीय सप्ताह (22 मार्च से 28 मार्च, 2024) का मौसम दृष्टिकोण

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम दृष्टिकोण के अनुसार द्वितीय सप्ताह (22 मार्च से 28 मार्च, 2024) के दौरान प्रदेश के ज्यादातर कृषि जलवायु अंचलों में कोई प्रभावी वर्षा होने की संभावना नहीं है।

प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग, दक्षिणी–पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र के उत्तरी भाग एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग तथा उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से अधिक रहने की संभावना है।

भांवर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 28–31 डिग्री सेल्सियस, भांवर तराई क्षेत्र के पूर्वी भाग, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 31–34 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 34–36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आस पास रहने की संभावना है। प्रदेश के भांवर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 10–12 डिग्री सेल्सियस, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 12–14 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में 14–16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रदेश के दक्षिणी–पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा उत्तर–पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से आंशिक रुप से अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भांवर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 14–16 डिग्री सेल्सियस भांवर तराई क्षेत्र के पूर्वी भाग, पश्चिमी मैदानी, मध्य पश्चिमी मैदानी, दक्षिणी–पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र एवं विन्ध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग मध्य मैदानी एवं उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 16–18 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में 18–20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

सप्ताह के दौरान दैनिक तापमान में क्रमिक परिवर्तन के कारण किसी विशिष्ट दिन उक्त तापमान प्रदर्शित श्रेणी से अधिक या कम हो सकता है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:–

- रबी में वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिये जायद फसलों की बुआई प्राथमिकता पर करें।
- उर्द/मूंग/मूंगफली/सूरजमुखी आदि की बुवाई से पूर्व बीज को ट्राइकोडर्मा से शोधित करके बुवाई करें।
- आम की फसल में पाऊडरी मिल्ड्यू (खर्रा/दहिया) रोग की संभावना के दृष्टिगत ट्राइडीमार्फ अथवा पेनकोनाजोल 1 मिली. प्रति लीटर पानी में घोलकर सुरक्षात्मक छिड़काव करें।
- फसल शीघ्र पकने की अवस्था में है। अतः किसान भाई फसल कटाई–मड़ाई के उपरांत भण्डारण से पूर्व अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें, जिससे नमी की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक न हो इसके लिये किसान भाई दानों को दांतों के नीचे दबाने से कट की आवाज आने पर इसे भण्डारण करने योग्य समझें।
- भण्डारण गृह के दीवारों एवं फर्श आदि पर मैलाथियान 50 प्रतिशत ई.सी. को 1:100 के अनुपात में पानी में घोलकर 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करें तथा बोरों को घोल में 10 से 15 मिनट डुबोने के उपरांत सुखाकर शोधित कर लें।
- सुरक्षित अन्न भण्डारण हेतु इस्पात से बनी बखारियों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है।
- नीम की पत्तियों को छाया में सुखाकर अनाज के साथ भण्डारित करने से भण्डारण कीट/रोग की समस्या कम हो जाती है।
- उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में फसल अवशेषों को जलाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है साथ ही साथ कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत किसान फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं।

जायद फसलों की खेती

- उर्द की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत पीला चित्रवर्ण अवरोधी (मोजैक) किस्मों यथा आई.पी.यू.–13–1, पंत उर्द –10, आई.पी.यू.–11–2, वल्लभ उर्द–1, प्रताप उर्द–1, माश–479 तथा कोटा उर्द–4 आदि की बुआई यथाशीघ्र समाप्त करें।

- मूंग की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु अधिक उपज वाली व पीला मोजैक अवरोधी संस्तुत किस्मों यथा के.एम.–2195 (स्वाती) आई.पी.एम.205–7 (विराट), आई.पी.एम.410–3 (शिखा), कनिका, वर्षा, आजाद मूंग–1, आई.पी.एम. 312–20, आई.पी.एम.409–4 (हीरा), वसुधा, सूर्या तथा आजाद मूंग–1 की बुवाई यथाशीघ्र समाप्त करें।
- ग्रीष्मकालीन मूंगफली की संस्तुत किस्मों यथा आई.सी.जी.वी.–93468 (अवतार), जी.जे.जी., एच.एन.जी. –123, डी.एच.–86 बुआई यथाशीघ्र समाप्त करें।
- बाजरा की संस्तुत संकुल किस्मों आई.सी.एम.वी.–221, धन शक्ति, आई.सी.टी.पी.–8203, राज–171, पूसा कम्पोजिट–383, पूसा कम्पोजिट–701 तथा संकर किस्मों यथा एम.पी.– 7792, एम.एच.–1553, 86 एम 84, 86 एम.–52, जी.एच.बी.–526, जी.एच.बी.–558 एवं पी.बी.–180 की बुआई करें।
- चेना (जेठी सावा) की संस्तुत किस्मों यथा एम.डी.यू.–1 व भावना प्रजाति की बुवाई यथाशीघ्र समाप्त करें।
- ज्वार की एकल कटाई हेतु संस्तुत प्रजातियों पी.सी.– 6,9,23, एच.सी.–171, 260, यू.पी. चरी–1–2, राज चरी–1,2 तथा बहु कटाई वाली प्रजातियों एस.एस.जी.–998, 855, को.–27, पंत चरी–5 की बुवाई करें।
- लोबिया की उन्नत किस्मों कोहिनूर, श्वेता, बी.एल.–1, बुन्देल लोबिया–2,3, जी.एफ.सी.–1,2,3 एवं 4, यू.पी. सी.–618, 622 तथा ई.सी.–4246 की बुवाई करें।

गेहूँ की खेती

- विलम्ब से बोये गये गेहूँ में अनावृत्त कंडुवा से रोगग्रस्त बाली दिखाई देने पर उसे लिफाफे में डालकर काट लें तथा जमीन में गाड़ दें। गेहूँ की बोई गई प्रजाति की शुद्धता बनाये रखने के लिये रोगिंग (अवांछित पौधों को निकाल दें) करें।
- गेहूँ में गेरूई तथा पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु थायोफिनेट मिथाइल 70 प्रतिशत डब्लू.पी. की 700 ग्रा. अथवा जीरम 80 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.0 किग्रा. अथवा मैंकोजेब 75 डब्लू.पी. की 2.0 किग्रा. प्रति हे. की दर से लगभग 750 ली. पानी में घोलकर अथवा प्रोपीकोनाजोल 1 मिली. प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- गेहूँ की फसल में (विशेषकर एच.डी. 2967 किस्म) करनालबंट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु बिटरटेनोल 25 प्रतिशत डब्लू.पी. 2.25 कि.ग्रा. अथवा प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ई.सी. 500 मि.ली. प्रति हेक्टेयर लगभग 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- गेहूँ की फसल में वर्तमान में यूरिया या किसी अन्य उर्वरक का प्रयोग न करें।

दलहनी फसलों की खेती

- अरहर में फलीबेधकों से 5 प्रतिशत प्रकोपित फली पाये जाने पर बी.टी. 5 प्रतिशत डब्लू.पी. 1.5 कि.ग्रा. या इण्डाक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 400 मि.ली. या क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.50 ली. या फेनवेलरेट 20 ई.सी. 750 मिली. 500–700 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।
- चना में फली बनते समय हल्की सिंचाई करें।
- चना में फलीबेधक कीट व अर्धकुण्डलीकार कीट के नियंत्रण हेतु बैसिलस थूरिनजिएन्सिस (बी.टी) की कर्स्टकी प्रजाति 1.0 किग्रा अथवा एजाडिरैक्टिन 0.03 प्रतिशत अथवा डब्लू.एस.पी. 2.5–3.0 किग्रा. अथवा एन.पी.बी. ऑफ हेल्को वरपा आर्मीजेरा 2 प्रतिशत ए.एस. 250–300 मिली. को 500–600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- यदि राई/सरसों व अलसी की फसल परिपक्व हो गई है (फलियां सुनहरे रंग की हो गई है) तो कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रख लें।
- राई/सरसों की फसल में ओरोबंकी का प्रकोप होने पर पौधों को चिंहित कर नष्ट कर दें तथा आगे के वर्षों में फसल चक्र अपनायें।

गन्ना की खेती

- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये गन्ने की संस्तुत प्रजातियों यथा को–0118, को–98014, को.शा.–13235, को. लख.–14201, को.शा.–17231, को.शा.–18231, को.शा.–16233 को.शा. 18231, को. लख.–15206, पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु को.लख.–16202 तथा पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र हेतु को. 15023 तथा जल प्लावित क्षेत्रों/विपरीत परिस्थितियों हेतु यू.पी.–9530 को.शा.–10239 तथा ऊसर मृदा में यू.पी.–14234 आदि प्रजातियों में से उपलब्धतानुसार चयन करें।
- नवरोपित शरदकालीन गन्ने में सिंचाई, खाद, उर्वरक का प्रयोग एवं गुड़ाई करना सुनिश्चित करें।
- गन्ने में खरपतवार नियंत्रण हेतु कस्सी, फावड़े या कल्टीवेटर से गुड़ाई करें श्रमिकों के अभाव में रासायनिक नियंत्रण हेतु मैट्रीब्युजीन (70 प्रतिशत) 500 ग्राम तथा 2–4 डी (58 प्रतिशत) 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से सकरी तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण होता है।
- नवरोपित शरदकालीन गन्ने में अंकुर बेधक से ग्रसित पौधे को जमीन की सतह से काटकर निकाल दें।
- पेड़ी व नवरोपित शरदकालीन गन्ने में यदि कण्डुआ (स्मट) रोग का संक्रमण हो तो ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट करें। रोगग्रसित गन्ने के चाबुक को पॉलीथीन की थैली से ढ़ककर ही कटाई करे, जिससे रोग के काले रंग का चूर्ण फैल नहीं पाये।
- पेड़ी में एक समान फुटाव हेतु मेड़ों को गिराने के पश्चात् तेज धारदार फावड़े से ठूठों की छटाई करने के पश्चात् देशी हल अथवा कल्टीवेटर से गन्ने की लाइनों की गुड़ाई करें।
- पेड़ी फसल में पर्याप्त पौधे की संख्या बनाये रखने हेतु गन्ने की दो थानों के मध्य 45 से.मी. से अधिक गैप होने पर पूर्व अंकुरित पैड़ों का प्रत्यारोपण कर देना चाहिये।
- पेड़ी फसल में नत्रजन एवं फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु पर्याप्त नमी की दशा में 10 कि.ग्रा. एजोटोबैक्टर तथा 10 कि.ग्रा. पी.एस.बी. प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 कु. गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर गन्ने की जड़ों के पास डालकर गुड़ाई कर देनी चाहिये।
- बसंतकालीन गन्ने में मूंग, उर्द व लोबिया की उपयुक्त प्रजातियों की सहफसल ले सकते है। उन्हें बोने से पूर्व राइजोबियम कल्चर (1 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) से उपचारित करें।

सब्जियों की खेती

- जिन किसान भाईयों की आलू की खुदाई नहीं हुई वह अतिशीघ्र आलू की फसल की खुदाई करें। खुदाई के बाद आलू को कुछ दिन छाव में फैलाकर रख दें ताकि छिलके पूरी तरह से कड़े हो जाय।
- मेंथा की रोपाई का सही समय है। किसान भाई मेंथा फसल की रोपाई लाइन से लाइन या मेड़ बनाकर इसी माह कर लें।
- जिन किसान भाईयों ने टमाटर की ग्रीष्मकालीन फसल एवं कद्दूवर्गीय फसलें यथा कद्दू, लौकी, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज तथा अन्य जायद मौसम की सब्जी फसलों की बुवाई नहीं की है व यथाशीघ्र पूर्ण करें।
- टमाटर में फल बेधक कीट के नियंत्रण हेतु साइजोपर 10 ओ.डी. 1.8 मि.ली. प्रति लीटर की दर से अथवा इन्डाक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 1 मि.ली. प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संस्तुति अनुसार उपचार करें।
- लहसुन में रोग एवं कीट के बचाव के लिये मैंकोजेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2 ग्राम मात्रा एवं फास्फेमिडान 6 मि.ली. प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर छिड़काव करें।

बागवानी

- आम के भुनगा कीट के रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 30.5 प्रतिशत एस सी (0.3 मि.ली. प्रति लीटर) एवं प्रोफेनोफॉस 50 प्रतिशत ई.सी. (01 मिली. प्रति लीटर) पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- आम में खर्रा रोग से बचाव हेतु घुलनशील गन्धक (2 ग्रा./ली. पानी) तथा इसके 10–15 दिन बाद डाइनोकैप अथवा ट्राईडोमार्फ (0.6 मिली. प्रति ली. पानी) का छिड़काव करें।

पशुपालन

- जायद/खरीफ में हरा चारा लेने के लिये ज्वार एवं मक्का की समय से बुवाई करें।
- पशुओं को संतुलित आहार के साथ खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें एवं नमक का चाटन भी करायें।
- पशु ब्याने के 1 से 2 घंटे के अंदर नवजात पशु को खीस अवश्य पिलायें।
- खुरपका एवं मुंहपका बीमारी (एफ.एम.डी.) का टीकाकरण कराया जा रहा है, यह सुविधा पशुचिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- पशुओं को अंतः कृमिनाशक एवं बाह्य परजीवीनाशक दवाई पशुचिकित्सा की सलाह से आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें।
- दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिये पूरा दूध निकालें और दूध दोहन के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से साफ करें तथा बैठने न दें।
- सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र अलींगढ़ एवं भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र इटावा पर सम्पर्क कर पशुपालक भेड़, बकरी एवं सूकर पालन विषय पर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- विकास खण्ड स्तर/तहसील/जनपद स्तर पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय बहुउद्देश्यीय पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। इसका कृषक भाई नजदीकी पशुचिकित्सालय पर सम्पर्क कर लाभ ले सकते है।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वारा पर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु पशुपालक टोल फ्री हैल्पलाइन नं. 1962 पर सम्पर्क करें।

मत्स्य पालन

- तालाबों का जल स्तर 5 से 5.5 फुट तक बनाये रखा जाय।
- तालाब में संचित मत्स्य के पोषण हेतु रासायनिक उर्वरकों को मासिक रूप से 74 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर (सुपर फास्फेट 25 कि.ग्रा., यूरिया 45 कि.ग्रा., म्यूरेट ऑफ पोटाश 4 कि.ग्रा.) की दर से प्रयोग किया जाय।
- मछलियों में वृद्धि हेतु पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के वजन के 1 से 2 प्रतिशत तक किया जाय।
- कामन कार्प मछलियों के प्रजनन के दृष्टिगत प्रजनकों (ब्रूडर) को पृथककरण उपरांत उनका विशेष पोषण सुनिश्चित किया जाय।
- वर्तमान में कॉमन कार्प मछलियों के प्रजनन हेतु उपयुक्त समय है, अतः कॉमन कार्प मछलियों का प्रजनन कराया जा सकता है।
- मछलियों को निश्चित समय पर ही भोजन दिया जाय।

रेशम पालन

- पत्तों में समुचित परिपक्वता की प्राप्ति हेतु दो शहतूत फसलों के मध्य 60–70 दिनों की वृद्धि सुनिश्चित करें।
- कीटपालन गृह एवं समस्त कीटपालन उपकरणों का विशुद्धीकरण दो प्रतिशत फार्मेलीन से करें। खुले कीटपालन गृह के विसंक्रमण हेतु पांच प्रतिशत विरंजक चूर्ण घोल अधिक प्रभावी होता है।
- आदर्श कीट पालन कक्ष के अन्दर स्वास्थ्यकर दशाओं का सख्ती से पालन करें।
- आदर्श तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं आर्द्रता 75 से 80 प्रतिशत अवस्थाओं में रेशम कीट बीज का उष्मायन करें।
- 6'X4' आकार की एक चंद्रिका में लगभग 1000 कीटों को प्रतिस्थापित करें।
- ग्रीष्म फसल 2024 (शहतूती) का कीटपालन 20 से 25 मार्च, 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस हेतु कीटपालकों को सलाह दी जाती है कीटपालन भवन एवं उपकरणों का अच्छी प्रकार से विशुद्धीकरण कर लिया जाय तथा कीटपालन के दौरान तापमान एवं आर्द्रता बनाई रखी जाय।

वानिकी

- विलायती बबूल, अंवला के बीजों की बुआई रूट ट्रेनर/थैलियों में कर लें।

- अपनी पौधशाला के अंकुरण कक्ष में पौधों का प्रतिरोपण रूट ट्रेनर/पॉलीथीन थैलों में कर, छाया घर (शे. हाउस) में स्थानान्तरित कर लें।

अन्य निर्णय

- क्राप वेदर वॉच ग्रुप की आयोजित बैठकों में कृषि विश्वविद्यालयों से आने वाले वैज्ञानिकों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि बैठकों में भाग लेने हेतु उनके द्वारा वाहन पर होने वाले व्यय का भुगतान करने के उपरांत उन्हें परिषद से कम भुगतान प्राप्त होता है, फलस्वरूप उन्हें स्वयं भुगतान करना पड़ रहा है। अतः बैठक में व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत शासकीय हित में सम्यक विचार–विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि समूह में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों को प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक वाहन से आने पर संबंधित विश्वविद्यालय के वाहन हॉयर किये जाने हेतु अनुमोदित दरों पर ट्रैवेल एजेंसी को भुगतान किया जायेगा। यह व्यवस्था दिसम्बर, 2023 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 28 मार्च, 2024 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः– क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध है।

(संजय सिंह) 14/3/24
महानिदेशक

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
17. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
18. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
19. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
20. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
21. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
22. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
23. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
24. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

25. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
26. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
28. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
29. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
30. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
31. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
32. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
33. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
34. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
35. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
36. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
37. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
40. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
41. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
42. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
43. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
44. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
45. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
46. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

14-3-24

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2023–24 की बाईसवीं बैठक
दिनांक 14 मार्च, 2024 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद
2. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ
3. श्री ए.के. बिश्नोई, संयुक्त कृषि निदेशक, धान्य फसलें, कृषि विभाग, उ.प्र.
4. डा. राजीव कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक शाकभाजी, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ
5. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ
6. डा. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र, पशुपालन, उत्तर प्रदेश
7. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ
8. श्री ए. के. शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश
9. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
11. डा. समीर कुमार विश्वास, विभागाध्यक्ष, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
12. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
13. डा. अनसुमान सिंह, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)
14. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
15. श्री नीरेन्द्र कमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
16. मु. आरिफ, परियोजना प्रबंधक, राहत आयुक्त कार्यालय, एनेक्सी
17. सुश्री अन्नू देवी, ओ.एस.डी, राहत आयुक्त कार्यालय, एनेक्सी
18. श्री कुंदन सिंह, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, लखनऊ